शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /395/ 610 / सा.प्रशा. / स्थापना / 2023 — जगदलपुर, दिनांक 01 JUN 2023

–:: विज्ञापन ::–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के निम्नलिखित अध्ययनशालाओं में स्वीकृत प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता के रिक्त पदों के विरूद्ध हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bvvjdp.ac.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है:–

स. क्र.	अध्ययनशाला / विभाग का नाम	विषय का नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अर्हता
1	वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला	वानिकी एवं वन्यजीव	01	विश्वविद्यालय विनियम–117 के अनुसार
2	शिक्षा अध्ययनशाला	शिक्षा	04	
3	समाज कार्य अध्ययनशाला	समाज कार्य	01	
4	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	01	
5	जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला	जैव प्रौद्योगिकी	02	
6	अंग्रेजी अध्ययनशाला	अंग्रेजी	01	
7	राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला	राजनीति विज्ञान	01	
		कुल पदों की संख्या	**11**	

उपरोक्त विषयों पर पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निम्नवत कर सकते हैं:–

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bvvjdp.ac.in पर मुख्य मेन्यू में Recruitment में उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर दिनांक 01 / 06 / 2023 से दिनांक 14 / 06 / 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन शुल्क 300 / – रूपये ऑनलाईन माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार विषयों में अतिथि व्याख्याता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अर्हता रखते है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी एवं इसकी सूचना आवेदनकर्ताओं द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी. पर भी प्रेषित की जायेगी।
3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता, चयन प्रक्रिया आदि विश्वविद्यालय विनियम–117 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
4. मानदेयः– शैक्षणिक / अध्यापन कार्य के लिये मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो एक व्याख्यान के लिये रूपये 300 / – (तीन सौ रूपये मात्र) एवं अधिकतम प्रति दिवस चार व्याख्यान के लिये रूपये 1200 / – (बारह सौ रूपये मात्र) एवं प्रतिमाह रूपये 31200 / – (इकतीस हजार दो सौ रूपये मात्र) की सीमा के अधीन होगा।
5. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात आवेदन के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने वाले समस्त आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों / अभिलेखों आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति सीलबंद लिफाफे में दिनांक 21 / 06 / 2023 तक विश्वविद्यालय में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डॉक / कोरियर के माध्यम से अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे।
6. लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन उल्लेखित करते हुये विषय का नाम तथा बायें भाग में प्रेषक का नाम, पता, मोबाईल नंबर स्पष्ट उल्लेखित करेंगे। लिफाफे के दायें भाग में निम्न पता लिखकर प्रेषित करेंगे।

प्रति,

कुलसचिव,
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)
पिन कोड 494001

7. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों एवं स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक/कोरियर के माध्यम से विलंब से प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय विनियम–117 का अवलोकन विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर किया जा सकता है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

1/6/23
कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
जगदलपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/396/610/सा.प्रशा./स्थापना/2023 जगदलपुर, दिनांक /05/2023 01 JUN 2023

प्रतिलिपिः–
1. कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
2. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
3. समस्त विभाग प्रमुख, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
4. समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
5. जनसंपर्क अधिकारी, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
   – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सूचना पटल पर चस्पा करने/विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये विश्वविद्यालय वेबसाईट प्रभारी/कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित।
7. आदेश फोल्डर/संबंधित नस्ती।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक/689/170/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 23/12/2022

–:: अधिसूचना ::–

एतद् द्वारा, कार्यपरिषद की 44वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवृत्त क्रमांक/1079/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 21.12.2022 के पूरक एजेंडा के विषय क्रमांक–2 में लिये गये निर्णयानुसार **विनियम *क्रमांक–117 "अतिथि व्याख्याता आमंत्रण हेतु विनियम, 2022"*** को अधिसूचित किया जाता है।

यह विनियम तत्काल से प्रभावशील होगा।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/690/170/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
4. कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ।
5. समस्त विभाग प्रमुख, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला के शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ।
7. संबंधित नस्ती।

23.12.2022

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
SHAHEED MAHENDRA KARMA VISHWAVIDYALAYA, BASTAR
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत–494001
Dharampura-2, Jagdalpur, District-Bastar, Chhattisgarh, India-494001

//विनियम क्रमांक–117//

(कार्यपरिषद की 44वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवृत्त क्रमांक 1079/अका./कार्यपरिषद/2022, जगदलपुर दिनांक 21.12.2022 के पूरक एजेण्डा के विषय क्रमांक–02 में लिये गये निर्णय अनुसार)

एतद् द्वारा, कार्यपरिषद छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–35(ठ) तथा धारा–37(पन्द्रह) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धारा–40(1)(ग) के अनुसार निम्नलिखित विनियम बनाते है:–

01. यह विनियम "अतिथि व्याख्याता आमंत्रण हेतु विनियम, 2022" कहलायेगा।

02. यह विनियम कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन पश्चात अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रभावशील होगा।

03. इस विनियम में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों/अध्ययनशालाओं में स्वीकृत रिक्त शैक्षणिक पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं होने अथवा किसी अन्य कारण से नियमित शिक्षक नहीं होने की स्थिति में सुचारू शैक्षणिक कार्य एवं शैक्षणित्तर गतिविधियों के संपादन के लिये अस्थायी तौर पर अतिथि व्याख्याता एक शैक्षणिक सत्र के लिये आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया एवं शर्तें उल्लेखित होगी।

04. किसी शैक्षणिक विभाग/अध्ययनशाला में अतिथि व्याख्याता आमंत्रण के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के नवीनतम/अद्यतन संशोधित विनियम में संबंधित विषय में सहायक आचार्य पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्य होगी।

05. यू.जी.सी. विनियम, 2018 में संबंधित विषय में सहायक आचार्य पद पद पर चयन के लिये परिशिष्ट–3 के तालिका 3(क) में उल्लेखित चयन संबंधी मानदण्ड अनुसार ही अतिथि व्याख्याता चयन के लिये चयन प्रक्रिया होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

06. चयन समिति – यू.जी.सी. द्वारा अतिथि व्याख्याता आमंत्रण के लिये समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा।

07. आमंत्रित अतिथि व्याख्याता को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याता के लिये समय–समय पर प्रति व्याख्यान निर्धारित मानदेय के अनुसार ही मानदेय भुगतान किया जायेगा।

08. अतिथि व्याख्याता को नियमित शिक्षकों के लिये लागू वेतन, भत्ते, अवकाश आदि नियम लागू नहीं होंगे।

09. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर अतिथि व्याख्याता की सेवा शर्तों, मानदेय से संबंधित निर्गत शासनादेश कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात लागू होंगे।

10. विलोपित।

11. विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षण कार्य से संबंधित, कार्यस्थल पर उनके आचरण एवं व्यवहार तथा सेवा शर्तों के अनुपालन में कुलसचिव द्वारा जारी आदेश का पालन करना होगा। विवाद की स्थिति में कुलपति द्वारा लिये गये निर्णय अतिथि व्याख्याताओं के लिए मान्य होगा। यदि अतिथि व्याख्याता विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं तो इसके लिये उनको विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कुलपति द्वारा लिए गये निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव